In the court of Sanjeev Kumar-II, DASJ-I
-cum- Special Judge, SC/ST(P.O.A.) Act, Madhepura
SC/ST No 41/2020 State vrs. Md. Manzoor

FORM A

न्यायालयः– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष–सह–विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मधेपुरा।

उपस्थित : (संजीव कुमार–II)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, मधेपुरा।

SC/ST No NO.-41/2020
C.I.S.No.-41/2020
उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या–115/2020
(निर्णय की तिथिः–31.07.2026)

सूचक	राज्य द्वारा सूचक **प्रभू डोम** पे0 चेतु डोम, सा0 अखरी टोला, वार्ड नं0–10, थाना–उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा।
अभियोजन की ओर से	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद यादव, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त	**बनाम** 1. मो0 मंजूर, पिता मो0 सलीम, उम्र करीब 56 वर्ष। सा0 अखरी टोला, वार्ड नं0–11, थाना–उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा
बचाव पक्ष की ओर से	श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र, विद्वान अधिवक्ता

FORM B

अपराध की तिथि–	दिनांक–29.04.2020
प्राथमिकी की तिथि–	दिनांक–01.05.2020
अन्तिम प्रपत्र की तिथि–	दिनांक–21.08.2020
अपराध का संज्ञान की तिथि–	दिनांक–17.05.2022
आरोप गठन की तिथि–	दिनांक 28.11.2022
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	दिनांक–01.12.2022
निर्णय पर प्रस्तुत होने की तिथि–	दिनांक–30.07.2026
निर्णय की तिथि–	दिनांक–31.07.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर छोडने की तिथि	आरोपित धारा	प्रकृति दोषसिद्ध या दोषमुक्त	**सजा**
1. मो0 मंजूर	30-05-2020	05-06-2020	**u/s- 341, 323, 504 I.P.C & 3(i)(s), 3(i)(r) SC/ST Act**	**अपर्याप्त साक्ष्य के कारण दोषमुक्त किया गया।**	-------

In the court of Sanjeev Kumar-II, DASJ-I
-cum- Special Judge, SC/ST(P.O.A.) Act, Madhepura
SC/ST No 41/2020 State vrs. Md. Manzoor

अभियोजन साक्ष्य

कम संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति ( )
PW-1	विजल ऋषिदेव	अभियोजन साक्षी (पक्षद्रोही)
PW-2	प्रभू डोम	अभियोजन साक्षी (सूचक)
PW-3	सुशीला देवी	अभियोजन साक्षी (तथ्य)
PW-4	रूणा देवी	अभियोजन साक्षी (पक्षद्रोही)
PW-5	चेतु डोम	अभियोजन साक्षी (पक्षद्रोही)
PW-6	गंगाधर प्रसाद यादव	अभियोजन साक्षी (अनुसंधानकर्ता)

बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य

Sr. No,	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
--------		बचाव साक्षी(.....)

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा कराये गये प्रदर्श का विवरण

अभियोजन

Sr. No,	Exhibit Number	Description
1	Ex-P-1/P.W-2	लिखित आवेदन पर हस्ताक्षर
2	Ex-P-2/P.W-6	संपूर्ण आरोप पत्र
3	Ex-P-3/P.W-6	संपूर्ण पृष्ठाकण

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त **मो0 मंजूर** के विरूद्व धारा **341, 323, 504 I.P.C & 3(i)(s), 3(i)(r) SC/ST Act** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप गठित करके उसके सार को हिन्दी में पढ़कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोप से इन्कार किया एवं विचारण का दावा किया।

2. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 29.04.2020 समय करीब 3 बजे शाम में सूचक गॉव से दक्षिण अपना सुअर चराने जा रहा था। जब सूचक सुअर लेकर मो0 मंजूर के दुकान के पास पहुंचा तो सूचक को रोककर गाली गलौज करने लगे और कहने लगे की साला डोम तुम्हारा सुअर मेरे दुकान के सामने पैखाना कर दिया। सूचक बोला क्यों गाली देते हो, जानवर है, हम क्या करें। इतना कहते ही उनके पक्ष से मो0 मंसूर, मो0 मुर्शिद, मो0 सिराज, मो0 कुदिस एवं मो0 मुख्तार सभी ने अपने अपने हाथ में लाठी लेकर आये और सूचक को घेरकर मारपीट करने लगे और कहने लगे की साले डोम एक तो सुअर लेकर आता जाता है और बक–बक करता है। इतना कहकर उक्त सभी मिलकर लाठी डंडा लप्पर थप्पड़ से मारपीट करने लगे। हल्ला सुनकर बहुत लोग जुट गये तब सूचक को बचाये। उक्त सभी गाली गलौज करते हुए तरह–तरह की धमकी दिये की साले

अब इधर सुअर लेकर आयेगा तो जान से मार देंगें। उक्त सभी दबंग व्यक्ति है। पहले भी कई बार सूचक को गाली–गलौज मारपीट किये हैं।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर थाना प्रभारी उदाकिशुनगंज के द्वारा अभियुक्त के विरूद्व उदाकिशुनगंज थाना कांड सं.–115/2020 दिनांक 01.05.2020 अन्तर्गत धारा **341, 323, 504, 506/34 I.P.C & 3(r)(s) SC/ST** में दर्ज किया गया तथा उक्त कांड का अनुसंधान का भार पु.स.अ.नि. गंगाधर प्रसाद यादव को सौंपा गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानों उपरांत मामले को सत्य पाते हुए प्रस्तुत वाद में अभियुक्त **मो0 मंजूर** के विरूद्व धारा **341, 323, 504 I.P.C & 3(i)(r)(s) SC/ST Act** के अन्तर्गत आरोप–पत्र सं.–231/2020 दिनांक 21.08.2020 समर्पित किया गया। प्रस्तुत वाद में तत्कालीन श्रीमान के न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.05.2022 संज्ञान आदेश पारित किया गया तथा विचारण एवं निस्तारण हेतु अग्रतर कार्यवाई किया गया।

4. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल छः अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया हैं जो कमशः अभियोजन साक्षी सं.–1. विजल ऋषिदेव, 2. प्रभू डोम, 3. सुशीला देवी, 4. रूणा देवी, 5. चेतु डोम एवं 6. गंगाधर प्रसाद यादव का साक्ष्य कराये हैं।

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त का कथन दंड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया, अभियुक्त ने साक्षियों के कथन एवं अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा सफाई में अपने को निर्दोष बताया। उसके द्वारा प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

6. अब इस विशेष न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं ?

अभियोजन साक्ष्य

7. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल छः अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया हैं जो कमशः अभियोजन साक्षी सं. 1. विजल ऋषिदेव, 2. प्रभू डोम, 3. सुशीला देवी, 4. रूणा देवी, 5. चेतु डोम एवं 6. गंगाधर प्रसाद यादव है तथा दस्तावेजी साक्षय के रूप में अभियोजन पक्ष द्वारा लिखित आवेदन पर हस्ताक्षर को Ex-P-1/P.W-2, संपूर्ण आरोप पत्र को Ex-P-2/P.W-6 एवं संपूर्ण पृष्ठाकंण को Ex-P-3/P.W-6 अंकित कराया गया है।

8. सुविधा की दृष्टिकोण से सर्वप्रथम इस काण्ड के सूचक प्रभू डोम के साक्ष्य का ही विवेचना करना मैं उचित समझता हूँ। **अभियोजन साक्षी सं0 02 प्रभू डोम** जो इस काण्ड के स्वयं सूचक हैं तथा जिनका साक्ष्य न्यायालय में दिनांक 16.03.2023 को अंकित किया गया है।

अपने मुख्य परीक्षण में कहते है कि घटना आज से करीब दो वर्ष पूर्व की शाम के करीब 05.00 बजे की है। उस समय वह अपने सुअर को चराने जा रहा था और जैसे ही मो0 मंजूर के दुकान के पास पहुंचा तो मो0 मंजूर उसे गाली–गलौज करने लगा। उसका सुअर मो0 मंजूर के दुकान के आगे शौच कर दिया था इसी आकोश में वह गाली–गलौज किया। वह मना किया तो उसे लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट करने लगा। इसी बात को लेकर वह केस उदाकिशुनगंज थाना में किया था। आवेदन किसने लिखा था, वह नहीं जानता है। आवेदन पर उसका हस्ताक्षर है जिसे वह पहचानता है। साक्षी के पहचान पर लिखित आवेदन पर उसके हस्ताक्षर को प्रदर्श P-1 अंकित किया गया। मारपीट में ईलाज अस्पताल में हुआ था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मो0 मंजूर को पहचानता है।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसे अभियुक्त द्वारा उसके जाति का नाम लेकर कोई गाली–गलौज नहीं किया गया था। उसका सुअर अभी भी अभियुक्त मो0 मंजूर के दुकान से होकर जाता है। आपस में धक्का–मुक्की हुआ था जिसमें वह गिर गया था जिससे उसके पैर में चोट आ गई थी। गांव समाज ने दोनों पक्षों में मेल करवा दिया है। मेल आवेदन पर उसने अपना दस्तखत किया है। थाना पर लिखें गए आवेदन को उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। अभियुक्त उसका ग्रामीण है, इसलिए उसको पहचानता है। अब उसे अभियुक्त मो0 मंजूर से कोई शिकायत नहीं है।

9. **अभियोजन साक्षी सं0 03 सुशीला देवी है,** जिसने दिनांक–07/06/2023 को साक्ष्य के कम मे अपने मुख्य परीक्षण में कहा है की घटना आज से करीब दो–ढ़ाई साल पूर्व की शाम के करीब 04.00 बजे की है। सुअर ने रास्ते पर शौच कर दिया, इसी बात को लेकर उसके पति प्रभु डोम और अभियुक्त मो0 मंजूर के बीच झगड़ा हुआ। इसी बात का केस उसके पति ने किया था। उसके पति के साथ मारपीट हुआ था जिसका ईलाज हुआ था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मो0 मंजूर को पहचानती है।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं थी, बाद में सुनने के बाद आई थी। दोनों पक्षों में मेल–मिलाप हो गया है। वह किसी को मारपीट करते नहीं देखी थी और ना ही जाति सूचक शब्द से किसी अभियुक्त को गाली देते देखा था। आज जो भी बयान दी है, वह स्वेच्छा से दी है।

10 **अभियोजन साक्षी सं0 06 गंगाधर प्रसाद यादव है,** जिसने दिनांक–18/03/2024 को साक्ष्य के कम मे अपने मुख्य परीक्षण में कहा है की दिनांक 01.05.2020 को वह खारा बुद्धमा पीकेट में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। उक्त तिथि को प्रभु डोम के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन पर तत्कालिन थानाध्यक्ष शषिभूषण सिंह द्वारा अग्रसारित आवेदन प्राप्त हुआ जिस पर उदाकिशुनगंज थाना कांड सं0 115/20 दिनांक 01.05.20 दर्ज था। अनुसंधान का प्रभार ग्रहण किया। अनुसंधान भार ग्रहण करने के पश्चात् सर्वप्रथम वादी का पुनः बयान थाना पर लिया। वादी द्वारा बताये गये घटनास्थल के लिये प्रस्थान किया। इस

काण्ड का घटनास्थल अखरी चौंक स्थित त्रिमुहानी टोला पाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल के उत्तर में नया नगर जाने वाली पक्की सड़क, दक्षिण में खुरहान जाने वाली पक्की सड़क, पूरब में पसराहा जाने वाली पक्की सड़क एवं पश्चिम में मो0 मंजूर की गुमटी हैं। तत्पश्चात् साक्षी चैतु डोम, साक्षी सुशीला देवी, साक्षी रूण देवी, साक्षी अनिल ऋषिदेव, साक्षी विजय ऋषिदेव का बयान लिया जिन्होने घटना का समर्थन किया। उदाकिशुनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से जख्मी प्रभु डोम का जख्म जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर कांड दैनिकी में संधारित किया। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी का प्रतिवेदन 01 प्राप्त हुआ जिसे कांड दैनिकी में संधारित किया। उनके द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन किया। पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन 02 प्राप्त हुआ जिसे भी कांड दैनिकी में संधारित किया। गिरफ्तार अभियुक्त का सफाई बयान संकलित किया। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी उदाकिशुनगंज का प्रतिवेदन 03 सह अंतिम आदेश प्राप्त कर कांड दैनिकी में संधारित किया। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सह अंतिम आदेश प्राप्त कर कांड दैनिकी में संधारित किया। घटनास्थल के निरीक्षण, साक्षियों के बयान एवं पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार आरोप पत्र सं0 231/20 दिनांक 21.08.20 न्यायालय में समर्पित किया। यह वही आरोप पत्र हैं जो उसके लिखावट एवं हस्ताक्षर में हैं जिसे पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श– P-2/P.W-6 से अंकित किया जाता हैं। लिखित आवेदन पर पृष्ठांकण तत्कालिन थानाध्यक्ष शषिभूषण सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में हैं, जिसे वह पहचानता है। साक्षी के पहचान पर लिखित आवेदन पर पृष्ठांकण को प्रदर्ष–P-3/P.W-6 से अंकित किया जाता हैं।

साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटनास्थल के आसपास मो0 मंजूर के दुकान के अलावा और किसी का दुकान नहीं था। अनुसंधान का भार वह 11:20 दिन में ग्रहण किया था। गवाहों की सूची उसे वादी द्वारा नहीं दिया गया था, पूछताछ करने के बाद गवाहों का नाम उसने अंकित किया हैं। ऐसी बात नही हैं कि उसे गवाहों की सूचि वादी द्वारा दिया गया तथा थाना पर बैठकर वह बिना गवाहों से पूछताछ किये बयान लिख दिया तथा उसका अनुसंधान त्रुटीपूर्ण हैं।

11. प्रस्तुत वाद में अभियोजन **साक्षी संख्या–01 विजल ऋषिदेव, साक्षी संख्या–04 रूणा देवी एवं साक्षी संख्या–05 चेतु डोम** ने अपने साक्ष्य में घटना से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं तथा पुलिस में उनका बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के अनुरोध पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। तत्पश्चात् अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा साक्षी का प्रति परीक्षण किया गया परन्तु कुछ भी ऐसा तथ्य नहीं आया हैं जिससे अभियोजन पक्ष को लाभ होता हुआ प्रतीत हों।

मंतव्य

12. अभियोजन के द्वारा एकमात्र अभियुक्त **मो0 मंजूर** के विरूद्व धारा **341, 323, 504 I.P.C & 3(i)(s), 3(i)(r) SC/ST Act** के अंतर्गत आरोप गठन दिनांक 28/11/2022 को किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा विजल ऋषिदेव (P.W.-1), प्रभू डोम (P.W.-2), सुशीला देवी (P.W.-3), रूणा देवी (P.W.-4), चेतू डोम (P.W.-5) एवं गंगाधर प्रसाद यादव

(P.W.-6) को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सभी साक्षियों का परीक्षण एवं प्रति परीक्षण हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन पर हस्ताक्षर को Ex-P-1/P.W-2, संपूर्ण आरोप पत्र को Ex-P-2/P.W-6 एवं संपूर्ण पृष्ठाकंण को Ex-P-3/P.W-6 अंकित कराया गया।

13. प्रभू डोम (P.W.-1) इस वाद के सूचक और जख्मी है। सूचक का अभिकथन है कि घटना साक्ष्य की तिथि से दो वर्ष पूर्व शाम पांच बजे की है। उस समय प्रभू डोम अपना सुअर को चराने जा रहा था और जैसे ही मो0 मंजूर के दुकान के पास पहुंचा, मो0 मंजूर प्रभू डोम को गाली–गलौज करने लगा। प्रभू डोम का सुअर मो0 मंजूर के दुकान के आगे शौच कर दिया था। इसी आक्रोश में मो0 मंजूर ने गाली–गलौज किया। सूचक प्रभू डोम के द्वारा मना किया गया तो प्रभू डोम को मो0 मंजूर लपड़–थपड़ से मारपीट करने लगा। इसी बात को लेकर प्रभू डोम द्वारा उदाकिशुनगंज थाने में केस किया गया। पुनः सूचक प्रभू डोम कहता है कि आवेदन किसने लिखा था वह नहीं जानता है। आवेदन पर प्रभू डोम अपना हस्ताक्षर को पहचानता है जिसे P-1 प्रदर्श अंकित किया गया। मारपीट का ईलाज अस्पताल में हुआ था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मो0 मंजूर को साक्षी पहचानता है। प्रति परीक्षण के कंडिका–5 में साक्षी प्रभू डोम का कहना है कि अभियुक्त द्वारा उन्हें कोई जाति सूचक गाली–गलौज नहीं किया गया था। सूचक का सुअर अभी भी अभियुक्त मो0 मंजूर के दुकान से होकर जाता है। आपस में धक्का–मुक्की हुआ था जिससे वह गिर गया था। गिरने से सूचक के पैर में चोट आ गई थी। गांव समाज के द्वारा सूचक और अभियुक्त के बिच मेल करवा दिया गया। मेल आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर है। प्रति परीक्षण के कंडिका–7 में सूचक कहते है कि लिखित आवेदन को थाना पर उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। अभियुक्त ग्रामीण है इसलिए उसको पहचानते है। अब सूचक को अभियुक्त मो0 से कोई शिकायत नहीं है।

14. बिजल ऋषिदेव (P.W.-1) का अभिकथन है कि घटना के घटना के बारे में वह कुछ नहीं जानता है तथा पुलिस ने उसका बयान नहीं लिया था।

15. सुशीला देवी (P.W.-3) जो कि सूचक प्रभू डोम की पत्नी है, का अभिकथन है कि घटना साक्ष्य की तिथि से 2–2.5 साल पूर्व की शाम के करीब चार बजे की है। सुअर ने रास्ते पर शौच कर दिया, इसी बात को लेकर साक्षी के पति प्रभू डोम और अभियुक्त मो0 मंजूर के बीच झगड़ा हुआ। इसी बात को लेकर साक्षी के पति के द्वारा केस किया गया। साक्षी के पति के साथ मारपीट हुआ था जिसका ईलाज हुआ था। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मो0 मंजूर को पहचानती है। प्रति परीक्षण के कंडिका–3 में कहती है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं थी। जब घटना के बारे में सुना तब वह आई। वह किसी को मारपीट करते नहीं देखी थी और ना ही जाति सूचक शब्द से अभियुक्त को गाली देते देखा। साक्षी पुनः कहती है कि दोनों पक्षों में मेल हो गया।

16. रूणा देवी (P.W.-4) का अभिकथन है कि घटना साक्ष्य के तिथि से 2–2.5 साल पूर्व की है। साक्षी रूणा देवी अपने घर पर थी तो हल्ला सुनी। हल्ला पर कहीं नहीं गई।

अपने घर पर ही रह गई। पुलिस द्वारा साक्षी से पूछताछ नहीं किया गया। साक्षी प्रति परीक्षण के कंडिका–4 में कहती है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मो0 मंजूर को पहचानती है।

17. चेतू डोम (P.W.-5) का अभिकथन है कि यह केस उसके पुत्र प्रभू डोम ने किया है। घटना साक्ष्य के तिथि से 2–2.5 साल पूर्व की है। साक्षी ने सुना कि झगड़ा–झंझट हुआ था। साक्षी बांस काटने चला गया था। क्या हुआ नहीं देखा। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मो0 मंजूर को पहचानते है।

18. गंगाधर प्रसाद यादव (P.W.-6) का अभिकथन है कि दिनांक 01/05/2020 को साक्षी अनुसंधानकर्ता का अभिकथन है कि दिनांक 01/05/2020 को साक्षी अनुसंधानकर्ता खारा बुद्धमा पीकेट में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित थे। उक्त तिथि को प्रभू डोम के द्वारा एक आवेदन दिया गया। आवेदन पर तत्कालीन थानाध्यक्ष शशिभूषण सिंह द्वारा अग्रसारित किया गया था जिस पर उदाकिशुनगंज थाना कांड संख्या 115/20 दिनांक 01/05/20 दर्ज था। अनुसंधान का प्रभार ग्रहण किया। तत्पश्चात् वादी का पुनः बयान थाना पर लिया। वादी द्वारा बताये गये घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। कांड का घटनास्थल अखरी चॉक स्थित त्रिमुहानी टोला है। घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल के उत्तर में नया नगर जाने वाली पक्की सड़क, दक्षिण में खुरहान जाने वाली पक्की सड़क, पूरब में पसराहा जाने वाली पक्की सड़क एवं पश्चिम में मो0 मंजूर का गुमटी है। साक्षीगण चेतू डोम, सुशीला देवी, साक्षी रूणा देवी, अनिल ऋषिदेव, विजय ऋषिदेव का बयान लिया जिसने घटना का समर्थन किया। उदाकिशुनगंज प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र से जख्मी प्रभू डोम का जख्म जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर कांड दैनिकी में अंकित किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का प्रतिवेदन एक प्राप्त हुआ जिसे कांड दैनिकी में संधारित किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन किया। पुलिस अधीक्षक का प्रतिवेदन दो प्राप्त हुआ जिसे कांड दैनिकी में संधारित किया। गिरफ्तार अभियुक्त का सफाई सफाई बयान संकलित किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का प्रतिवेदन तीन प्राप्त हुआ। अंतिम आदेश प्राप्त कर कांड दैनिकी में संधारित किया। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सह अंतिम आदेश प्राप्त कर कांड दैनिकी में संधारित किया। अनुसंधानकर्ता कांड दैनिकी के कंडिका–6 में कहते है कि घटनास्थल का निरीक्षण, साक्षियों का बयान एवं पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार आरोप पत्र संख्या 231/20 दिनांक 21/08/2020 न्यायालय में समर्पित किया। साक्षी आरोप पत्र देखकर स्पष्ट करते है कि आरोप पत्र उनके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे वह पहचानते है। इसे प्रदर्श–P-2 अंकित किया जाता है। लिखित आवेदन पर पृष्ठाकंण तत्कालीन थानाध्यक्ष शशिभूषण सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी पहचानते है। पृष्ठाकंण को प्रदर्श–P-3 अंकित किया गया। साक्षी प्रति परीक्षण के कंडिका–7 में कहते है कि घटनास्थल के आसपास मो0 मंजूर के दुकान के अलावा किसी का दुकान नहीं है। कंडिका–9 में अनुसंधानकर्ता कहते है कि गवाहों की सूची उसे वादी द्वारा नहीं दिया गया था। पूछताछ करने के बाद गवाहों का नाम अनुसंधानकर्ता ने स्वंय अंकित किया।

19. सूचक जख्मी और चक्षुदर्शी साक्षी का कथन है कि अभियुक्त द्वारा कोई जाति

लगा कर गाली नहीं दिया गया। पुनः कहते है कि आपस में धक्का–मुक्की हुआ था जिसमें सूचक गिर गया था जिसके कारण उसके पैर में चोट आ गई। साक्षी स्पष्ट करते है कि गांव समाज के लोग दोनों पक्षों में मेल करवा दिया। मेल आवेदन में साक्षी का भी हस्ताक्षर है। साक्षी पुनः कहते है कि थाना में लिखे गये आवेदन को साक्षी को पढ़कर नहीं सुनाया गया था। जख्म प्रति डॉ0 ए.के. मिश्रा का तत्कालीन मेडिकल ऑफिसर, पी.एच.सी., उदाकिशुनगंज को अभियोजन न्यायालय में नहीं प्रस्तुत कर सके अतः जख्म प्रतिवेदन प्रदर्श अंकित नहीं हो सका। अन्य साक्षीगण विजल ऋषिदेव, रूणा देवी, चेतु डोम ने घटना का समर्थन नहीं किया है। P.W.-3 सुशीला देवी जो कि जख्मी प्रभू डोम की पत्नी है एक अनुश्रुत साक्षी है जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा घटना के विषय में सुनी। P.W.-6 गंगाधर प्रसाद यादव अप्रत्यक्ष साक्ष्य है जिसने घटना का बयान साक्षीगण चेतु डोम, सुशीला देवी, रूणा देवी, अनिल ऋषिदेव तथा विजय ऋषिदेव के आधार पर अभियोजन के वाद में उपस्थित किया। परंतु साक्षीगण न्यायालय में अभियोजन के वाद को गलत बताया। अतः अभियोजन अभियुक्त मो0 मंजूर पर लगाये गये आरोप को साबित करने में विफल रहे।

आदेश

20. एतद्, मैं अभियुक्त **मो0 मंजूर** के विरूद्व धारा **341, 323, 504 I.P.C & 3(i)(s), 3(i)(r) SC/ST Act** के आरोप से साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त करता हूँ। दोषमुक्त अभियुक्त का बंधपत्र निरस्त करते हुए उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता हैं। इस वाद में न्यायालय के द्वारा जारी सभी आदेशिकाओं तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। कार्यालय निष्पादित अभिलेख को ससमय अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लेखापित, संशोधित एवं उद्घोषित किया गया।

(संजीव कुमार–II)
जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
मधेपुरा, दिनांक –31.07.2026

(संजीव कुमार–II)
जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
मधेपुरा, दिनांक –31.07.2026